

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजूराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या : 39 / 2022</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>01.04.2022</p>	<p>अपीलार्थी राजूराम विश्नोई निवासी 564, मंगल नगर, गुडा विश्नोइयान, प.स. लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.01.2022 में उसके द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (भू.अभिलेख) जोधपुर के द्वारा श्री मनोहरलाल (हाल पटवारी सालावास) का स्थानान्तरण पटवार मंडल पाल, तहसील जोधपुर से पटवार मण्डल लूणी, तहसील लूणी में किया गया, स्थानान्तरण आदेश की प्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

